

आदेश

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 135 एवं 138 में प्रदत्त शक्तियों एवं धारा 212 में विहित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार सड़क सुरक्षा निधि नियमावली, 2017 के गठन का संकल्प करते हुए नियमावली प्रारूप पर संभाव्यतः प्रभावित होनेवाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियों एवं सुझावों हेतु इसे प्रकाशित की गई है। प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना-800001 के पदनाम से नामित सभी आपत्तियाँ अथवा सुझाव, यदि कोई हो, सड़क सुरक्षा कोषांग, परिवहन विभाग द्वारा दिनांक 19.05.2017 को अपराह्न 5.30 बजे तक प्राप्त किया जाएगा।

2. निदेशानुसार, प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों पर विचार करने हेतु समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है-

- (1) राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार- अध्यक्ष  
(2) उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार- सदस्य -सह -सचिव  
(3) श्री निरंजन कुमार वर्णवाल, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना- सदस्य

3. समिति प्राप्ता आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करते हुए अपना प्रतिवेदन दिनांक 24.05.2017 तक समर्पित करेगी।

4. आदेश पर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 /

प्रभारी पदाधिकारी, सड़क सुरक्षा कोषांग,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 /

प्रभारी पदाधिकारी, सड़क सुरक्षा कोषांग  
पटना, दिनांक-24/5/17

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, परिवहन विभाग/जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना/श्री निरंजन कुमार वर्णवाल, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी, सड़क सुरक्षा कोषांग